<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u>
(आप.प्रक.क. :— 578 / 2016)

(संस्थित दिनांक :- 20 / 09 / 2016)

| म.प्र. राज्य, | |
|----------------------------------|--|
| द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मालनपुर | |
| जिला–भिण्ड., म.प्र. | |

.....अभियोजन।

/ / विरूद्ध / /

01. फोदल सिंह उर्फ जगभान सिंह पुत्र निहाल सिंह उम्र 57 वर्ष। निवासी: - ग्राम नौनेरा, थाना:-मालनपुर, जिला-भिण्ड, म.प्र.।

..... अभुयक्त।

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 28/06/2017 को घोषित)

- 01. अभियुक्त फोदल सिंह उर्फ जगभान सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 341, 186, 341, 353 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :— 13/05/2016 को शाम लगभग 05:30 बजे ग्राम नौनेरा में सुरेश एवं सरपंच के मकान के सामने आम रास्ता ग्राम नौनेरा मालनपुर में, जो कि एक लोकस्थान पर, फरियादी लोक सेवक विशम्भर को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी विशम्भर सिंह को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया, फरियादी विशम्भर सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया, फरियादी विशम्भर जो कि शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद परस्थ रहते हुए लोकसेवक रूप में लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, के कर्तव्य निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न की एवं फरियादी विशम्भर लोक सेवक के रूप में अपने लोक कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा था, लोक सेवक को भयोपरत करने के उद्देश्य से हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया।
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 13/05/2016 को शाम लगभग 05:30 बजे ग्राम नौनेरा में सुरेश एवं सरपंच के मकान के सामने आम रास्ता ग्राम नौनेरा मालनपुर में, आरोपी फोदल सिंह उर्फ जगभान सिंह द्वारा फरियादी लोक सेवक विशम्भर का रास्ता रोककर गाली—गलौच करने, मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं जान मारने की धमकी देने करने की लिखित रिपोर्ट

फरियादी विशम्भर द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में फरियादी विशम्भर के उक्त आवेदन की जांच उपरान्त दिनांक : 17/05/2016 को आरोपी के विरूद्ध थाना मालनपुर में अपराध क्रमांक :— 72/2016 अन्तर्गत धारा 294, 341, 353, 186, एवं 506 भाग।। भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी फोदल सिंह उर्फ जगभान सिंह को गिरफ्तार किया गया। फरियादी विशम्भर द्वारा पेश करने पर व्ही.आर. सर्वे ड्यूटी एवं माह मई के उपस्थिति पत्रक की छायाप्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी विशम्भर एवं प्रदीप के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्त फोदल सिंह उर्फ जगभान सिंह के विरूद्ध धारा 294, 341, 353, 186 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत विशम्भर के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 341, 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी फोदल सिंह उर्फ जगभान सिंह ने दिनांक :— 13/05/16 को शाम लगभग 05:30 बजे ग्राम नौनेरा में सुरेश एवं सरपंच के मकान के सामने आम रास्ता ग्राम नौनेरा मालनपुर में, फरियादी विशम्भर जो कि शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ रहते हुए लोकसेवक रूप में लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, के कर्तव्य निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न की?
- 02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी विशम्भर लोक सेवक के रूप में अपने लोक कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा था, लोक सेवक को भयोपरत करने के उद्देश्य से हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया?
 - 03. अंतिम निष्कर्ष?

<u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> विचारणीय बिन्दु कमांक : 01 एवं 02

- 06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 07. इन विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी विशम्भर सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक :

28 / 06 / 2017 से एक साल पहले की शाम 05:30 बजे की है। उस समय उसकी ड्यूटी बी.ई.आर. रजिस्टर सर्वे की थी। साक्षी आगे कहता है कि करीबन 05:30 बजे वह सर्वे का कार्य कर अपनी शाला की ओर सरकारी दस्तावेज रखने के लिए शाला में जा रहा था, तभी बलाखी सरपंच के मकान के सामने आम रास्ते पर एक व्यक्ति मिला, उसने उसका रास्ता रोक लिया और उसे मॉं–बहन की गालियाँ देने लगा और बोला कि कल सर्वे करने मत आना, तो उसने कहा कि उसकी डयूटी है, मैं तो आउंगा, इसी बात पर उक्त व्यक्ति ने मोटर साईकिल से उतरकर उसके थप्पड मारे थे तथा उसके प्रपत्रों को फाड दिया था एवं बोला था कि अगर गांव में दिखा तो जान से खत्म कर देगें। साक्षी आगे कहता है कि प्रदीप ने उसका बीच–बचाव कराया था। उसने घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना मालनपुर में की थी, जिसका आवेदन प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा–मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बी.ई.आर. सर्वे ड्यूटी करने का आदेश एवं माह मई के रजिस्टर की छायाप्रति जब्त कर जब्ती पत्रक प्र. पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी विशम्भर अ.सा.०१ ने आरोपी फोदल सिंह उर्फ जगभान सिंह द्वारा दिनांक :- 13 / 05 / 16 को शाम लगभग 05:30 बजे ग्राम नौनेरा में सुरेश एवं सरपंच के मकान के सामने आम रास्ता ग्राम नौनेरा मालनपुर में, उसके शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ रहते हुए लोकसेवक रूप में लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, के कर्तव्य निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न करने एवं उसके लोक सेवक के रूप में अपने लोक कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा था, लोक सेवक को भयोपरत करने के उददेश्य से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी विशम्भर अ.सा.०१ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा थाना मालनपुर में दिये गये लेखी आवेदन प्र.पी.01 एवं पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

08. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी प्रदीप पटले ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घ गिषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी फोदल सिंह उर्फ जगभान सिंह द्वारा दिनांक :— 13 / 05 / 16 को शाम लगभग 05:30 बजे ग्राम नौनेरा में सुरेश एवं सरपंच के मकान के सामने आम रास्ता ग्राम नौनेरा मालनपुर में, फरियादी विशम्भर जो कि शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ रहते हुए लोकसेवक रूप में लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, के कर्तव्य निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न करने एवं फरियादी विशम्भर लोक सेवक के रूप में अपने लोक कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा था, लोक सेवक को भयोपरत करने के उद्देश्य से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

- 09. आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी विशम्भर अ.सा.01 एवं प्रदीप अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी फोदल सिंह उर्फ जगभान सिंह ने दिनांक :— 13/05/16 को शाम लगभग 05:30 बजे ग्राम नौनेरा में सुरेश एवं सरपंच के मकान के सामने आम रास्ता ग्राम नौनेरा मालनपुर में, फरियादी विशम्भर जो कि शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ रहते हुए लोकसेवक रूप में लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, के कर्तव्य निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न की एवं फरियादी विशम्भर लोक सेवक के रूप में अपने लोक कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा था, लोक सेवक को भयोपरत करने के उददेश्य से हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया।
- 11. अभियोजन आरोपी फोदल सिंह उर्फ जगभान सिंह के विरूद्ध धारा 353 एवं 186 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 एवं 186 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 12. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 13. प्रकरण में फरियादी विशम्भर से जब्तशुदा प्रतिलिपियाँ अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में मूल्यहीन होने से नष्टकर व्ययनित की जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद